छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

क्रमांक / 11582 / छगवेका / स्था0(A-01) / 2024–25 नवा रायपुर, दिनांक – 21.10.24

–:: आदेश ::–

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन में कार्यरत नियमित अधिकारी / कर्मचारियों एवं प्रतिनियुक्ति / संविदा / जॉबवर्क पर कार्यरत ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें बोनस की पात्रता नहीं है, को वर्ष 2023–24 हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने हेतु संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया गया है।

अतः वर्ष 2023–24 में प्रोत्साहन राशि के रूप में 01 माह का मूल वेतन (मार्च 2024 की स्थिति में) निम्न अनुमोदित मापदण्डों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

1. जिन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित वर्ष में विभागीय जॉच संस्थित की गई है, उन्हें प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
2. संबंधित वर्ष के दौरान किसी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के दण्डादेश जारी होने से पात्रता नहीं होगी, किन्तु प्रोत्साहन राशि स्वीकृति दिनांक तक यदि अपील में दण्डादेश निरस्त / अपास्त किया गया हो, तो उन्हें पात्रता होगी।
3. संबंधित वर्ष के दौरान निलंबित हुये अधिकारी / कर्मचारी को पात्रता नहीं होगी।
4. संबंधित वर्ष में शाखा के निरीक्षण / भौतिक सत्यापन में स्कंध कमी की गंभीर त्रुटि परिलक्षित होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
5. संबंधित वर्ष के दौरान जिन अधिकारी / कर्मचारियों पर रूपये 10,000/– (अक्षरी दस हजार रूपये) तक की भण्डारण हानि प्रकरण में वसूली आदेश जारी किया गया है, उन्हें पात्रता होगी, किन्तु भण्डारण हानि की वूसली आदेश राशि 10,000/– से अधिक होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
6. यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को भण्डारण हानि के प्रकरण में एक बार प्रोत्साहन राशि नही मिली है, उन्हें संबंधित वर्ष में (पिछले प्रकरण के कारण) प्रोत्साहन राशि से वंचित नहीं किया जायेगा।
7. जिन कर्मचारियों को बोनस की पात्रता होगी, उन्हें प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
8. दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 के मध्य सेवानिवृत्त / निधन होने वाले कर्मचारियों को (कार्यरत अवधि तक का) अनुपातिक रूप से उनके अंतिम वेतन भुगतान के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

तदानुसार वर्ष 2023–24 में कार्यरत निगम के नियमित अधिकारी / कर्मचारियों एवं प्रतिनियुक्ति / संविदा / जॉबवर्क सहित को उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अधीन, मार्च 2024 की स्थिति में **"प्रोत्साहन स्वरूप राशि"** 01 माह का मूल वेतन प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रबंध संचालक

क्रमांक / 11582 / छगवेका / स्था0(A-01) / 2024–25 नवा रायपुर, दिनांक 21.10.24

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
3. प्रबंधक (कार्मिक / वाणिज्य / लेखा / वै0भ0गु0नि0) कार्यपालन अभियंता, प्रदाय अधिकारी, वाहन अधिकारी, नोडल अधिकारी (आई0टी0), छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
4. वेतन शाखा / भविष्य निधि, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
5. समस्त शाखा प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
6. प्रोग्रामर, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित है, कि इस आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक